क्रमांक 82

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग –दो

बुधवार, दिनांक 09 दिसम्बर, 2020 (अग्रहायण 18, 1942)

कोरोना कोविड-19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक व्यवस्था।

विधान सभा का आगामी सत्र 21 दिसम्बर से 30 दिसम्बर, 2020 तक आहूत किया गया है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर दिसम्बर, 2020 सत्र में निम्नलिखित बिन्दुओं का पालन सुनिश्चित करने की अपेक्षा है :–

1. माननीय मंत्रिगण, माननीय संसदीय सचिव एवं माननीय सदस्यों के पी.एस.ओ. एवं फालो पायलट वाहन का विधान सभा परिसर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
2. माननीय संसदीय सचिव एवं माननीय सदस्यों के निज सचिव/निज सहायकों का प्रवेश विधान सभा परिसर में प्रतिबंधित रहेगा।
3. माननीय मंत्रिगण की निजी स्थापना के केवल एक व्यक्ति को विधान सभा परिसर में प्रवेश दिया जाएगा और वे माननीय मंत्री के कक्ष में ही रहेंगे, इधर–उधर भ्रमण नहीं करेंगे।
4. विधान सभा भवन के मुख्य परिसर (ए–ब्लाक) में केवल माननीय मंत्रिगण, माननीय संसदीय सचिव एवं माननीय सदस्यों को ही प्रवेश दिया जाएगा ।
5. आम नागरिकों का विधान सभा परिसर में प्रवेश वर्जित है, इसलिए अपने साथ किसी अन्य व्यक्ति को न लाए।
6. सभी माननीय सदस्यों से अपेक्षा है कि वे मास्क लगाकर ही विधान सभा में प्रवेश करें।
7. सदन की बैठक प्रारंभ होने के पूर्व माननीय सदस्यों का टेम्प्रेचर एवं ऑक्सीजन लेवल की जॉच की जाएगी, अतः सभी से अनुरोध है कि कृपया पर्याप्त समय पूर्व विधान सभा पहुंचने का कष्ट करें।
8. सभी माननीय सदस्य कोरोना संक्रमण के मद्देनजर केन्द्र शासन एवं राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें ।
9. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों एवं कैमरामेन के लिए सेन्ट्रल लॉन स्थित हट में व्यवस्था की गई है। माननीय मंत्रिगण एवं सदस्य वहॉ जाकर उनसे चर्चा कर बाईट दे सकते हैं।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव